

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(8)खा.वि./स्था.प्र./2001 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 30.07.2018

आदेश

“दी राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा नियम, 1976” के भाग-V के अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक से प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व में वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के लिए दिनांक 14.12.2012 को सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सुश्री कविता शर्मा के अभिलेख पूर्ण नहीं होने पर पद रिक्त रखते हुये पदोन्नति स्थगित की गई थी।

दिनांक 24.07.2018 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसरण में सुश्री कविता शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक को वर्ष 2011-12 के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर रिक्ति दिनांक 01.04.2011 से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

सुश्री कविता शर्मा की वरिष्ठता विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.12.2012 के क्रम में क्रम संख्या-16 पर अंकित श्री कंवसराम क्रम संख्या-17 पर अंकित श्री बाबूलाल जानू, प्रवर्तन अधिकारी के बीच में निर्धारित की जाती है।

सुश्री कविता शर्मा पदोन्नति पर अपने वर्तमान पद पर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करती रहेगी तथा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाये। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

इनका वेतन निर्धारण कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5(3)डी.ओ.पी./ए-2/77 दिनांक 18.08.1982 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

self-  
(मातादीन शर्मा)  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक एफ 2(8)खा.वि./स्था.प्र./2001 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 30.07.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 11 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 12 निजी सचिव, शासन सचिव एवं पदेन खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 13 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 14 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 15 निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
- 16 जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, जयपुर, (राज0)।
- 17 संबंधित प्रवर्तन अधिकारी श्री ..... द्वारा जिला रसद अधिकारी, ..... (राज0)।
- 18 प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 19 निजी पत्रावली संबंधित प्रवर्तन अधिकारी।
- 20 विभागीय गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जॉर्च/निरीक्षण शाखा।
- 21 रक्षा पत्रिका।

सहायक आयुक्त (खाद्य)